



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक-11.07.2025

थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 199/25 धारा 309(6)/324(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना नं0 UP-17AA-3667 व घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 05.07.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री जितेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत हाल पता जगदेव नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वह अपनी मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना नं0 UP-17AA-3667 से बडौत से इन्वर्टर व बैट्रा लेकर सुनील पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली



जनपद बागपत के घर लगाने के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा उसके सिर में डण्डा मार दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया

व सिर में चोट आ गयी तथा अभियुक्त उसकी मोटरसाइकिल, इन्वर्टर व बैट्रा लेकर भाग गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 199/25 धारा 309(4)/324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 199/25 धारा 309(6)/324(4) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ (घायलावस्था में) गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटी हुई मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना नं0 UP-17AA-3667 व घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित उर्फ छोटू पुत्र यशपाल निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत (घायल)

गिरफ्तारी का स्थान- दिनांक 11.07.2025 समय करीब 15.20 बजे थाना बिनौली क्षेत्रान्तर्गत फतेहपुर पुड्डी से धनौरा-पोइस रोड मार्ग से गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी का विवरण

- लूटी हुई मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना नं0 UP-17AA-3667
- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचे .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार अभियुक्त मोहित उर्फ छोटे पुत्र यशपाल का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 78/2019 धारा 379/411 भादवि थाना इकोटैक प्रथम कमिश्नरेट गौतम बुद्धनगर ।

2-मु0अ0सं0 746/2019 धारा 414/482 भादवि थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-प्र0निरी0 श्री शिवदत्त थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-निरी0 श्री राकेश शर्मा प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बागपत।

3-निरीक्षक जितेन्द्र सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-व0उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।

5-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

6-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनली जनपद बागपत ।

7-का0 301 मुलायम सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

8-का0 1104 चक्रपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

9-का0 240 तरुण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 11.07.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 426/25 धारा 303(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 437/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही, जिसकी निशांदेही पर चोरी की हुई मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर नं0 UP-17U-3162 व मो0सा0 पैशन प्रो नं0 UP-17J-5603 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक

04.07.2025 को
थाना बड़ौत पर
वादी श्री साहिल
पुत्र श्री तय्यब
निवासी ग्राम
प्रंजीत तहसील
कैराना जनपद
शामली ने सूचना
दी कि अज्ञात चोर
द्वारा उसकी
मो0सा0 हीरो



स्प्लेण्डर नं0 UP-17U-3162 को चोरी कर लिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 426/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 09.07.2025 को थाना बड़ौत पर वादी मौ० रियाज पुत्र मौ० फय्याज निवासी नई बस्ती जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसकी मो०सा० पैशन प्रो नं० UP-17J-5603 को चोरी कर लिया गया है। सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बड़ौत पर मु०अ०सं० 437/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 426/25 धारा 303(2) बीएनएस व मु०अ०सं० 437/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, जिसकी निशांदेही पर चोरी की हुई मो०सा० हीरो स्प्लेण्डर नं० UP-17U-3162 व मो०सा० पैशन प्रो नं० UP-17J-5603 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

- मो०सा० हीरो स्प्लेण्डर नं० UP-17U-3162 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 426/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बड़ौत जनपद बागपत)
- मो०सा० पैशन प्रो नं० UP-17J-5603 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 437/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बड़ौत जनपद बागपत)

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 2-का० 1030 शुभम थाना बड़ौत जनपद बागपत।
- 3-का० 1102 सुशान्त थाना बड़ौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 11.07.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 215/2025 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से डीजे की चोरी की हुई 01 एमटी मशीन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.07.2025 को थाना खेकडा पर वादी पिन्टू पुत्र सुखपाल निवासी पट्टी अहिरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1.काले उर्फ राकेश यादव पुत्र धर्मपाल, 2.दीपक पुत्र नरेश निवासीगण पट्टी अहिरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत द्वारा उसकी डीजे की 02 एमटी मशीन को गाडी के अन्दर से चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं 215/25 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 215/25 धारा 305 बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से डीजे की चोरी की गयी 01 एमटी मशीन बरामद हुई है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-राकेश उर्फ काला पुत्र धर्मपाल कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-मोन्टी पुत्र धर्मवीर निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3-दीपक पुत्र नरेश निवासी पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- डी0जे0 की एक एमटी मशीन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- म0उ0नि0 सीमा कुमारी थाना खेकडा।
- 2- है0का0 टिंकू भाटी थाना खेकडा।
- 3- का0 535 अतुल कुमार थाना खेकडा।
- 4- का0 911 श्यामवीर थाना खेकडा।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक- 11.07.2025

ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 161/25 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित नाबालिग गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद सकुशल किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0



161/25 धारा

137(2) बीएनएस से सम्बन्धित नाबालिग गुमशुदा को अथक प्रयास के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है ।

परिजनों द्वारा थाना रमाला पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वोई थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-का0 963 प्रभात यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 11.07.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शोएब पुत्र नबाव निवासी ग्राम चमरावल थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना चांदीनगर।
- 2-का0 1014 कुलदीप कुमार थाना चाँदीनगर।